


किस्म मुकदमा SC 14/2017
सरकार बनाम शाहरुख उर्फ शोफ तगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.05.2026	<p>अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त शाहरुख उर्फ मोनू अनपुस्थित। शेष अभियुक्तगण की आज की हाजरीमाफी का प्रार्थना पत्र जर्जे वकील पेश किया जो स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त शाहरुख उर्फ मोनू का गिरफ्तारी वारण्ट अदम लौटा है। तामील कुनिन्दा श्री भानाराम कानि0 755 पुलिस थाना सुकेत उपस्थित, जिसके बयान सी.डब्ल्यू. 01 लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी पूर्व में जारी किए जा चुके हैं लेकिन वारण्ट गिरफ्तारी अदम तामील लौटे है। पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित प्रकरणों में से है। अभियुक्त के वारण्ट गिरफ्तारी पर आई रिपोर्ट व तामील कुनिन्दा बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी सकुनत से रूहपोश हो गए हैं व उनके निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त शाहरुख उर्फ मोनू को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त शाहरुख उर्फ मोनू के विरुद्ध स्थाई वारण्ट गिरफ्तारी जारी हो तथा 84-85 बीएनएसएस की कार्यवाही पृथक से खोली जावें। पत्रावली वास्तु बहस अंतिम दिनांक 19.05.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  शाहरुख उर्फ मोनू शाहरुख उर्फ मोनू जिला जज </p>